

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 242/2013/बाड़मेर

सहायक आयुक्त,
वृत्त—बाड़मेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स नेशनल रिवाइडिंग वर्क्स, बाड़मेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप—राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी.एम.चोपड़ा,
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :26.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त—बाड़मेर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स—प्रथम), जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 7/आर.वैट/बीएमआर/2012–2013 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत आरोपित कर ₹86,846/-, अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति ₹73,846/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2009–10 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि में ठेकों में प्रयुक्त माल को अपर्याप्त होना अवधारित कर, अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद कर, संविदा कार्य में प्रयुक्त होना अवधारित कर, उक्त की अपंजीकृत खरीद ₹10,00,000/- पी.वी.सी पाईप, ऑयरन हार्डवेयर मूंगिया पत्थर सीमेन्ट, बजरी, इलैक्ट्रिक गुड्स पर 5 प्रतिशत व 14 प्रतिशत की दर से कर ₹86,000/- आरोपित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित त्रैमासिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत कर की 30 प्रतिशत शास्ति ₹73,846/- आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में अपंजीकृत खरीद पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के

तहत् आरोपित शास्ति को भी अपास्त कर आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय आदेश को अविधिक एवम् त्रुटिपूर्ण होने के कारण, इसे अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की अपील पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी। इस संबंध में तर्क दिया कि विद्वान् अपीलीय अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का गहन विश्लेषण किये बिना ही मनमर्जी से अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को अपास्त कर दिया है, जो अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। लिहाजा, अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग एकाउण्ट में किसी प्रकार की अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद घोषित नहीं की गयी थी, फिर भी अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमर्जी से निर्धारण आदेश में यह अंकित किया कि “आपसी विचार विमर्श एवम् सहमति” के आधार पर उक्त पर करारोपण किया जाता है। जबकि इस संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति प्रदान नहीं की गयी थी। विशिष्ट रूप से कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई विशिष्ट नोटिस जारी किये ही अपंजीकृत व्यवहारियों से माल क्य करना अवधारित कर, उक्त को माल सम्पति मूल्य में हस्तांतरण कार्य संविदा निष्पादन के दौरान होना अभिनिर्धारित किया है, जो कि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स मुकुटवाला कन्सट्रक्शन कं0, भीलवाड़ा एस. बी.सिविल रिविजन कमांक 25 / 2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 व वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स ब्रह्माणी कन्सट्रक्शन, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन कमांक 26 / 2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 को प्रोद्धरित किया तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अपंजीकृत व्यवहारियों से किये गये क्य के अनुमानों के आधार पर करारोपण को अविधिक होना बताया। अतः मनमाने ढंग से किये गये क्य पर कर अपास्त करने का निवेदन किया। जहां तक अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति का प्रश्न है विशिष्ट रूप से कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर, जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(25) एफडी / टैक्स / 11-169 दिनांक 30.

12(92)एफडी / टैक्स / 2011–46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अतिष्ठित कर, अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त विवरणियां वर्ष 2009–10 के लिये 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी हैं तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दिया गया है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त बिकी विवरण प्रपत्र दिनांक 15.04.2011 को प्रस्तुत कर दिये गये थे, अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.

12(92)एफडी / टैक्स / 2011–46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने और समस्त देय कर वर्ष 2009–10 के लिये जमा कराये जाने के कारण इस संबंध में आरोपित शास्ति की राशि कमशः ₹73,846/- राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब वसूली योग्य होना नहीं रह गयी है। उक्त आधारों पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना युक्तियुक्त आधार व बिना सुनवायी का मौका दिये कार्य संविदा निष्पादन माल मूल्य का अन्तरण अपंजीकृत व्यवहारियों से क्य करना मान कर, करारोपण करना, समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स मुकुटवाला कन्सट्रक्शन कं0, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन क्रमांक 25/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 व वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स ब्रहमाणी कन्सट्रक्शन, भीलवाड़ा एस.बी.सिविल रिविजन क्रमांक 26/2011 निर्णय दिनांक 28.01.2011 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त विवादित बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्षों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का विधिसम्मत औचित्य नहीं है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. जहां तक आरोपित शास्ति का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 51ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रारंभ में जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ12(25) एफडी / टैक्स / 11–169 दिनांक 30.03.2011 को अतिष्ठित किया जाकर, पुनः राज्य सरकार द्वारा नयी


जारी की गयी है। जिसके अनुसार वर्ष 2009–10 के लिये आरोपित शास्ति राशियों व ब्याज राशियों को उन व्यवहारियों के संबंध में, अधित्यजित कर दिया गया है, जिन्होंने वर्ष 2009–10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी है तथा वर्ष 2009–10 का समस्त देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 2011–46 दिनांक 15.09.2011 का मूल पाठ का अध्ययन करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:—

“In exercise of the powers conferred by Section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), and in supersession of this Department's notification No. F.12(25) FD/Tax/11-169 dated 30.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealer who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 upto 30.09.2011.

8. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील प्रकरण जो वर्ष 2009–10 के लिये विवादित कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में है, में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2009–10 की समस्त विवरणियां दिनांक 30.09.2011 से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी हैं तथा वर्ष 2009–10 का समस्त देय कर दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करवा दिया गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 की पालना होना प्रकट है। अतः उक्त विवादित बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्षों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का विधिसम्मत औचित्य नहीं है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।



26.2.2014
 (मदन लाल)
 सदस्य